न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 599/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.)

.......प्रार्थी

बनाम

1. सौदागरसिंह पुत्र तारासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
2. बलविन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
3. मोहनसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
4. तेजासिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
5. बन्तासिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
6. सुखजीतकौर पुत्री हरनामसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
7. ईसरकौर पत्नि हरनामसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
8. हरेन्द्रकौर पत्नि हरदेवसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
11. रणजीतसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
12. सुखविन्द्रकौर पुत्री मुखत्यारसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
13. परमजीतकौर पुत्री मुखत्यारसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर
14. मनजीतकौर पुत्री मुखत्यारसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 19एफ तहसील श्रीकरनपुर

....अप्रार्थीगण

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक : 23/1/19

1. सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 19 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 59/55 के मु.नं. 63/.506,64/5.502,65/1.960 हैक. नहरी/बारानी रकबा बलविन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह 0.573 हैक. इसरकौर पत्नि हरनामसिंह हरेन्द्रकौर पत्नि हरदेवसिंह बहिब.2.368 हैक. सुखजीतकौर पुत्री हरनामसिंह 0.257 हैक.राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, रणजीतसिंह पि.मुखत्यारसिंह सुखविन्द्रकौर परमजीतकौर मनजीतकौर पुत्रीया मुखत्यारसिंह हर छः बहिब.0.948 हैक.सोदागरसिंह पुत्र तारासिंह 1.871 हैक. मोहनसिंह तेजासिंह बन्तासिंह पि.समुन्द्रसिंह हर तीन बहिब.0.253 हैक. बगैरह जाति कम्बोजसिख सा.देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।
2. यह खाता संख्या 59 अपवादित है। क्योंकि खाते का योग और सहखातेदारों के हिस्सों के योग में 0.757 हैक. का अन्तर चला आ रहा है। सहखातेदारों के हिस्सो का योग 8.725 हैक. है और खाते का योग 7.968 हैक. दर्ज है।
3. मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 7 में दर्ज सौदागर सिंह वल्द तारासिंह का हिस्सा 148-11/18 बिस्वा गलत दर्ज है। जबकि मिसल बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी में यह हिस्सा 48-11/18 बिस्वा दर्ज था। जो सही था। अतः सौदागरसिंह का सही हिस्सा 48-11/18 बिस्वा यानि 0.614 हैक. होना चाहिये जो वर्तमान जमाबन्दी में भी 1.871 हैक.गलत दर्ज है।
4. जरिये इन्तकाल संख्या 127 बलविन्द्रसिंह पुत्र सोहन सिंह का हिस्सा 48-11/18 बिस्वा यानि 0.614 हैक. सही था। जो आगामी जमाबन्दी संवत 2055-2058 खाता संख्या 49 बनाते समय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

लिपिकीय भूल से 45-11/18 बिश्वा गलत दर्ज हो गया जो 0.573 हैक्. के स्थान पर 0.614 हैक्. होना चाहिये।

5. मोहनसिंह तेजासिंह बन्तासिंह पि.समुन्द्रसिंह का हिस्सा मिसल बन्दोबस्त में 20-5/6 बिस्वा सही दर्ज था जो जमाबन्दी सम्वत 2059-2062 खाता संख्या 46 बनाते समय 0.253 गलत दर्ज हो गया। जो 0.263 हैक्. होना चाहिये।
6. जमाबन्दी सवंत 2055-58 के खाता संख्या 49 में सुखजीतकौर पुत्री हरनामसिंह का 20-13/16 बिस्वा यानि 0.263 हैक्. सही दर्ज था। जो आगामी जमाबन्दी 2059-2062 खाता संख्या 46 में 0.253 हैक्. गलत दर्ज कर दिया गया हे। जो 0.263 हैक्. किया जाना उचित है।
7. जरिये इन्तकाल संख्या 55 बटंवारनामा हरनामसिंह पुत्र देवासिंह 208-1/4 बिस्वा, कुलदीपकौर पुत्री देवासिंह 75 बिस्वा कुल 283-1/4 बिस्वा दर्ज है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी व इन्तकाल संख्या 55 की प्रविष्टियों में 34-3/4 बिस्वा का अन्तर है। जो कि हरनाम सिंह पुत्र देवासिंह, कुलदीपकौर पुत्री देवासिंह को बहिब.बराबर बढकर मिलना चाहिये।
8. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है जो कि रिकार्ड मे त्रुटी का ज्ञान होने के पश्चात अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 से 14 की सुनवाई कर चक 19 एफ के मु.नं. 63 की 0.506 हैक्टर, मु0 नं0 64 की 5.502, मु0 नं0 65 की 1.960 हैक्. नहरी/बारानी रकबा में सौदागरसिंह का हिस्सा 1.871 के स्थान पर 0.614 हैक्., बलविन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह का हिस्सा 0.573 हैक्.के स्थान पर 0.614 हैक्., मोहनसिंह, तेजासिंह, बन्तासिंह पि. समुन्द्रसिंह का हिस्सा 0.253 के स्थान पर 0.337 हैक्., सुखजीतकौर पुत्री हरनामसिंह का हिस्सा 0.253 हैक्. के स्थान पर 0.263 हैक्. इसरकौर पत्नि हरनामसिंह का हिस्सा 1.184 हैक्.के स्थान पर 1.257 हैक्. ,हरेन्द्रकौर पत्नि हरदेवसिंह का हिस्सा 1.184 के स्थान पर 1.257 हैक्.,राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, रणजीतसिंह पि.मुखत्यारसिंह सुखविन्द्रकौर परमजीतकौर मनजीतकौर पुत्रीयान मुखत्यारसिंह हर छः बहिब.0.948 के स्थान पर 1.168 हैक्. दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के सम्मन पर फौत हो चुका है रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 2,7,8,9,10,11,12,13,14 की तलबी विधिवत रूप से होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 के संबंध मे पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि सौदागर सिह की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। सौदागर सिह के चार वारिस बचन सिह,भजन सिह व दो लडकिया है। मौका पर सौदागर सिह के पौत्र भूपेन्द्र सिह के द्वारा अवगत करवाया कि चक 19 एफ की भूमि उनके दादा सौदागर सिह ने तबादला मे चक 3 टी की भूमि ले ली थी। चक 19 एफ की भूमि से उनका कोई लेना देना नही है। चक 19 एफ मे सौदागर सिह पुत्र तारा सिह की भूमि पर दर्शन सिह,भूपेन्द्र सिह, मलकीत सिह पिसरान नाजर सिह काश्त कर रहे है। भूपेन्द्र सिह, मलकीत सिह, दर्शन सिह पिसरान नाजर सिह न्यायालय मे उपस्थित आये एवं तीनो के द्वारा अपने सामुहिक ब्यान लिखवाये। ब्यान मे तीनो ने जाहिर किया कि चक 19 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 59/55 मे सौदागर सिह पुत्र तारा सिह के नाम 1.871 हैक्टर भूमि दर्ज है। हमारे द्वारा सौदागर सिह से जरिये बैयनामा दिनांक 01.07.1963 से 41-2/3 हिस्सा जमीन खरीद की गई थी जो कि हमारे पिता नाजर सिह पुत्र तारा सिह द्वारा खरीद की गई। वर्तमान जमाबंदी मे सौदागर सिह के नाम ज्यादा भूमि है। सौदागर सिह के नाम जमाबंदी सम्वत 2016 ता 19 मे 48-11/18 हिस्सा भूमि दर्ज थी जो मिसल बन्दोबस्त बनाते समय सम्वत 2027 ता 36 मे 148-11/18 हिस्सा भूमि दर्ज की गई। जो कि गलत दर्ज हुई है। हमारे द्वारा सौदागर सिह से 41-2/3 हिस्सा भूमि खरीद की गई है उसी अनुसार ही यदि खाता सही किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है और न ही कोई आपत्ति है। सौदागर सिह हमारा ताया लगता था जिसके वारिसान चक 3 टी मे निवास करते है। सौदागर सिह की जमीन पर हमारा कब्जा काश्त है जो कि बैयनामा से है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

पैरोकार राज तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर बिन्दु संख्या-8 जरिये इन्तकाल संख्या 55 बटंवारनामा के कॉलम संख्या 11 में क्रम संख्या 6 में हरनामसिंह बगैरह के हिस्सो का योग और कॉलम संख्या 12 के हिस्सो का योग में प्रविष्टियों में 34-3/4 बिश्वा का अन्तर है अर्थात रकबे में 34-3/4 बिश्वा का अन्तर है। सैटलमेंट में हरनामसिंह पुत्र देवासिंह का हिस्सा 62-1/2 हिस्सा व देवसिंह सेवासिंह पुत्र गुजरसिंह बहिब. 437-1/2 हिस्सा दर्ज है। जो बिलकुल सही है। परन्तु इन्तकाल संख्या 5 दस्तबरदारी व विरास्तन के द्वारा देवा का हिस्सा 218-3/4 हिस्सा में से देवासिंह के वारिसान हरनामसिंह पुत्र देवासिंह को 2हिस्सा अर्थात 143-3/4 हिस्सा व बसन्तकौर पत्नि देवसिंह का हिस्सा 1हिस्सा अर्थात 75हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इन्तकाल संख्या 51 दस्तबरदारी व विरास्तन के द्वारा बसन्तकौर पत्नि देवासिंह का 75 हिस्सा कुलदीपकौर पुत्री देवासिंह को दे दिया गया। इस प्रकार हरनामसिंह पुत्र देवासिंह का कुल हिस्सा 62-1/2 + 143 3/4 = 206-1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इन्तकाल संख्या 55 में हरनामसिंह पुत्र देवासिंह का हिस्सा 208-1/4 हिस्सा लिख दिया गया। अतः हरनामसिंह पुत्र देवासिंह का हिस्सा हिस्सा 208-1/4 हिस्सा के स्थान पर 206-1/4 हिस्सा अर्थात 2.609 हैक. दुरूस्त किया जाना उचित है । हरनामसिंह फौत हो चुका है। हरनामसिंह के वारिसान ईशरकौर पत्नि हरनामसिंह 1.177 हैक, हरेन्द्रकौर पत्नि हरदेवसिंह 1.177 हेक. व सुख़जीतकौर पुत्री हरनामसिंह 0.255 हेक. दुरूस्त किया जाना उचित है। कॉलम संख्या 11 में क्रम संख्या 1ता 5 में सेवासिंह पुत्र गुजरसिंह इन्द्रसिह पुत्र सेवासिंह अमरसिंह पुत्र सेवासिंह बलवीरसिंह पुत्र सेवासिंह मलकीयतसिंह पुत्र सेवासिंह हरनामकौर पुत्री हरकौर का इन्तकाल संख्या 55 बटंवारा में हिस्सा 36-3/4 बिस्वा कम प्राप्त हुआ है। यदि खाते में सेवासिंह पुत्र गुजरसिंह इन्द्रसिह पुत्र सेवासिंह अमरसिंह पुत्र सेवासिंह बलवीरसिंह पुत्र सेवासिंह मलकीयत सिंह पुत्र सेवासिंह हरनामकौर पुत्री हरकौर बहिबराबर 36-3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे तो सहखातेदारो के हिस्सो का योग और खाते का योग बराबर हो जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र मे निम्नानुसार संशोधन किया जाकर हरनामसिंह के वारिसान ईशरकौर पत्नि हरनामसिंह 1.177 हैक, हरेन्द्रकौर पत्नि हरदेवसिंह 1.177हेक. व खाते में सुखजीतकौर पुत्री हरनामसिंह 0.255 हेक.दुरूस्त किया जाना उचित है और सेवासिंह पुत्र गुजरसिंह इन्द्रसिह पुत्र सेवासिंह अमरसिंह पुत्र सेवासिंह बलवीरसिंह पुत्र सेवासिंह मलकीयतसिंह पुत्र सेवासिंह हरनामकौर पुत्री हरकौर बहिबराबर 36 3/4 हिस्सा दर्ज कर प्रविष्टियों को दरूस्त करने के आदेश प्रदान किया ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे पैरोकार राज के द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट पत्रावली मे पेश की। पैरोकार राज को सुना गया। पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया कि यह रिकार्ड की दुरूस्ती है जिसे राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत सही किया जाना उचित है। प्रकरण मे उपस्थित आये पक्षकारो के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त अशुद्विया रिकार्ड से संबंधित है जिसे सही किया जाना उचित है। इस संबंध मे पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उक्तानुसार शुद्वि किया जाना उचित अंकित किया है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 7 मे सौदागर सिह पुत्र तारा सिह का हिस्सा 148-11/18 गलत दर्ज है, इससे पूर्व की जमाबंदी मे यह हिस्सा 48-11/18 दर्ज था जो सही था। अतः सौदागर सिह का हिस्सा 48-11/18 हिस्सा अर्थात 0.614 हैक्टर होना चाहिये। अतः चक 19 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 59 मे दर्ज सौदागर सिह पुत्र तारा सिह 1.871 हैक्टर के स्थान पर 0.614 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।
2. इन्तकाल संख्या 127 बलविन्द्र सिह पुत्र सोहन सिह का हिस्सा 48-11/18 बिस्वा अर्थात 0.614 हैक्टर सही था। आगामी जमाबंदी सम्वत 2055 ता 58 बनाते समय लिपिकिय भूल से 45-11/18 बिस्वा गलत दर्ज हो गया इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज है। अतः चक 19 एफ की जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 59 मे दर्ज बलविन्द्र सिह पुत्र सोहन सिह 0.573 हैक्टर के स्थान पर बलविन्द्र सिह पुत्र सोहन सिह 0.614 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

3. मिसल बन्दोबस्त मे मोहन सिह, तेजा सिह, बन्ता सिह पिसरान समुन्द्र सिह का हिस्सा 20-5/6 हिस्सा सही दर्ज था। जमाबंदी सम्वत 2059 ता 62 बनाते समय 0.253 हैक्टर गलत दर्ज हो गया ओर इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज है। अतः वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज मोहन सिह, तेजा सिह, बन्ता सिह पिसरान समुन्द्र सिह हर तीन बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर के स्थान मोहन सिह, तेजा सिह, बन्ता सिह पिसरान समुन्द्र सिह हर तीन बहिस्सा बराबर 0.263 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. सैटलमेंट में हरनामसिंह पुत्र देवासिंह का हिस्सा 62-1/2 हिस्सा व देवसिंह सेवासिंह पुत्र गुजरसिंह बहिब. 437-1/2 हिस्सा दर्ज है। जो बिलकुल सही है। इन्तकाल सख्या 5 दस्तबरदारी व विरास्तन के द्वारा देवा सिह का हिस्सा 218-3/4 हिस्सा मे से देवा सिह के वारिसान हरनाम सिह पुत्र देवा सिह को 2 हिस्सा अर्थात 143-3/4 हिस्सा व बसन्त कौर पत्नी देवा सिह को 1 हिस्सा अर्थात 75 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस प्रकार हरनाम सिह पुत्र देवा सिह का कुल हिस्सा 62-1/2 + 143-3/4 = 206-1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इन्तकाल संख्या 55 बटवारानामा मे हरनाम सिह पुत्र देवा सिह का हिस्सा 208-1/4 लिख दिया गया जिसे सही कर 206-1/4 हिस्सा अर्थात 2.609 हैक्टर किया जाना है जो कि इनके वारिसान ईशर कौर पत्नी हरनाम सिह 1.177 हैक्टर, हरेन्द्र कौर पत्नी हरदेव सिह 1.177 हैक्टर व सुरजीत कौर पत्नी हरनाम सिह 0.255 हैक्टर किया जाना है। इस इन्तकाल संख्या 55 बटवारानामा सेवा सिह पुत्र गुजर सिह, इन्द्र सिह पुत्र सेवा सिह, अमर सिह पुत्र सेवा सिह, बलवीर सिह पुत्र सेवा सिह,मलकीत सिह पुत्र सेवा सिह,हरनाम कौर पुत्री हरकौर को हिस्सा मे 36-3/4 हिस्सा कम प्राप्त हुआ है। इन्हे इस खाता मे 36-3/4 हिस्सा ओर दर्ज किया जाना है। अतः वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज ईशर कौर पत्नी हरनाम सिह, हरदेव सिह पुत्र हरनाम सिह बहिस्सा बराबर 2.368 हैक्टर के स्थान पर ईशर कौर पत्नी हरनाम सिह, हरदेव सिह पुत्र हरनाम सिह बहिस्सा बराबर 2.354 हैक्टर तथा सुखजीत कौर पुत्री हरनाम सिह के नाम दर्ज 0.257 हैक्टर के स्थान पर सुखजीत कौर पुत्री हरनाम सिह 0.255 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस खाता संख्या 59 में सेवा सिह पुत्र गुजर सिह, इन्द्र सिह पुत्र सेवा सिह, अमर सिह पुत्र सेवा सिह, बलवीर सिह पुत्र सेवा सिह,मलकीत सिह पुत्र सेवा सिह,हरनाम कौर पुत्री हरकौर के नाम 36-3/4 हिस्सा अर्थात् 0.465 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2019...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner